फद अहकाम

नानगराम बनाम कैलाश व अन्य

नाम न्यायालय –उपखण्ड अधिकारी फागी

निर्णय दिनांकः– 29.06.2018

केस संख्याः– 123/2015 स्थगन प्रा0प.

उ क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही.	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	29.06.2018	–::निर्णय::– आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प रेनवाल में पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 7 के विरूद्व दिनांक 11.12.2015 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है। बहस सुनी गई। बहस मे अधिवक्ता ने बताया की विवादग्रस्त आराजी के ख0न0 358, 360, 372, 380, 2566, 2569 कुल किता 07 कुल रकबा 11 बीघा 01 बिस्वा एवं ख0न0 1334, 1492/1, 1492/3, 1494, 1495, 1496, 1507, 1508, 1509, 1519, 1520/1, 1520/2, 1521, 1522, 1523, 1525 कुल किता 16 कुल रकबा 57 बीघा 01 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रेनवाल तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थिति है। अपीलांट मृतक गोरर्धन के छोडे हुये हिस्से की आराजी मे 1/3 भाग पर व रामचन्द्र के वारिस रेस्पो0 1 लगायत 4 का 1/3 हिस्से पर एवं कल्याण के वारिस रेस्पो न0 5, 6 का 1/3 हिस्से पर कब्जा गोरर्धन के स्वर्गवास बाद नजदीकी वारिस होने के कारण चला आ रहा है। इसी अनुसार नामान्तकरण खुलने चाहिये थे किन्तु गोरधन के भाई रामचन्द्र के पुत्रान जगन्नाथ, जयराम, महराम, धन्ना, पाच्या पि0 रामचन्द्र ने अकेले ने नामान्तकरण संख्या 660दिनांक 05.04. 86 को रामचन्द्र के वारिसान ने अपने नाम तस्दीक करा लिया। रेस्पोडेन्टके अधिवक्ता ने बताया की गोरधन के हिस्से की आराजी मे अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा किसी भी प्रकार नही है। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो जमाबन्दी इत्यादी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने तथा बहस पर मनन करने अपीलान्ट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जामा उचित समझतो है। अतः अपीलान्ट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी के ख0न0 358, 360, 372, 380, 2566, 2569 कुल किता 07 कुल रकबा 11 बीघा 01 बिस्वा एवं ख0न0 1334, 1492/1, 1492/3, 1494, 1495, 1496, 1507, 1508, 1509, 1519, 1520/1, 1520/2, 1521, 1522, 1523, 1525 कुल किता 16 कुल रकबा 57 बीघा 01 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रेनवाल तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थिति आराजी की मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को कैम्प कोर्ट रेनवाल मांजी में सुनाया गया। सावन कुमार चायल (उपखण्ड अधिकारी) (फागी जिला जयपुर)	

Scanned by CamScanner